रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

97

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 30 मार्च, 1996 ई० (चैत्र 10, 1918 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

सूचना

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 में शासनादेश संख्या 1305-ज/9-7-199[illegible]-3-के (38)-75, दिनांक 22 मई, 1995 के अनुसार उपरोक्त विनियमावली, जो कि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 (1) (एफ) के अन्तर्गत निर्मित एवं संशोधित की गयी हैं, में प्रस्तावित निम्न संशोधन अधिनियम की धारा 548 (3) के अन्तर्गत शासकीय गजट में एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं । ये संशोधन 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होंगे :

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
1—(1) इन विनियमों का नाम आगरा नगर महापालिका कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनिफिट) विनियम, 1962 है ।	1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमेन्ट बेनिफिट), 1962 कहा जायेगा ।
2—(1) अधिनियम (अथवा ऐक्ट) से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (ऐक्ट 2, 1959)	2—(1) अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यू० पी० अधिनियम 2 सन् 1959) कहा जायेगा ।
2—(9) स्पष्टीकरण—	2—(9) स्पष्टीकरण—
विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा [illegible]	विनियम 2 (9) में निहित स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का तात्पर्य है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी या सेवक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना कर सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि जिस तिथि से वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति चाहता है उसके

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
सदर्भ मुख्य नगर अधिकारी को नोटिस देना होगा तथा पूर्णतया असक्त हो जाने पर किसी अधिकारी को मु0 न0 अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात 3 माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जा सकता है ।	3 माह पूर्व [illegible] प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी को देना होगा ।
3--उपलब्धियां (इमोल्यूमेन्ट) से तात्पर्य है--	3--परिलब्धियों (इमोल्युमेन्ट) से तात्पर्य है--
(क) वेतन फाइनेन्शियल हैन्ड बुक (भाग 2 से 4) वाल्यूम 2 के फण्डामेंटल रूल 9 (21) में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित परिभाषा के अनुसार तथा,	(क) परिलब्धियों से तात्पर्य अब वित्तीय हस्तपु भाग 2 से 4 खंड 2 के मूलनियम 9 (21) (परिभाषित मूल वेतन से है । भविष्य में शासन समय-समय पर परिभाषित मूल वेतन से होगा ।
(ख) महंगाई भत्ता अथवा तत्सम्बन्ध अन्य भत्ता यदि कोई हो जो अधिकारी को प्रतिमाह उसकी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय उसे प्राप्य (एडमिसिबिल) हो ।	(ख) निरस्त किया जाता है ।
4--(1) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान--जिन अधिकारियों पर यह विनियम लागू होंगे उनको सेवानिवृत्त होने पर अतिरिक्त उपादान (ग्रेच्युटी) भी दिया जायेगा जो इनकी मासिक उपलब्धियों के 16.5 गुने से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनकी मासिक उपलब्धियों के 1/4 को उनके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा के पूर्ण अर्द्ध वार्षिक काल की संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होगा ।	4--(1) सेवानिवृत्ति उपादान (रिटाय[illegible] ग्रेच्यु सेवा निवृत्ति उपादान (रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) 5 अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने पर ही अनुमन्य होग उसकी धनराशि प्रत्येक पूर्ण छमाही सेवा अवधि अन्तिम आहरित परिलब्धियों के एक चौथाई के होगी, जिसका अधिकतम अन्तिम परिलब्धियों के सोलह गुना के बराबर होगा ।
4--(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान--	4--(2) डेथकम (रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) मृत्यु सेवा निवृत्ति उपादान--
यदि किसी अधिकारी को सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किए हुए व्यक्ति/व्यक्तियों को, जिन्हें उपादान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या 5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार दिया गया हो, उपादान दिया जायेगा, जिसकी धनराशि उसके वेतन के 12 गुने से कम और 16.5 गुने से अधिक न होते हुए वह धनराशि होगी जो उसकी मासिक उपलब्धियों के 1/4 को उसके द्वारा की गई अर्हकारी सेवा में पूर्ण अर्द्धवार्षिक काल की संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा ।	यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल मृत्यु हो जाय तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुये व्यक्तियों को, जिन्होंने उपादान प्राप्त करने [illegible] विनियम संख्या 5 के उपविनियम 1 से 8 [illegible] किया गया हो, उपादान दिया जायेगा (दस वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर पेन्शन के स्थान पर सेवा उ रविस ग्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पूर्ण अवधि की सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धि बराबर होगी । मृत्यु उपादान सेवारत दशा में मृत्यु जाने पर मृतक के परिवार को मृत्यु उपादान होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों गुना एक से अधिक, किन्तु पांच वर्ष से क सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पांच से किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा परिलब्धियों का गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के आ

वर्तमान नियम

4—(3) उपविनियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाले उपादान की धनराशि किसी भी दशा में रु0 50,000 से अधिक नहीं होगी।

6—(1) प्रत्येक अधिकारी, जो सेवा निवृत्ति वेतन योग्य 10 वर्षों की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए मृत हो जाये तो उसके परिवार को नीचे उपविनियम 2 में वर्णित धनराशि से अधिक न होते हुए पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन उसकी विधवा पत्नी को आजीवन, जब तक वह पुनर्विवाह न करे अथवा परिवार के अन्य किसी सदस्य को प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्तर्गत रहते हुए अधिक से अधिक 10 वर्ष तक दिया जायगा। यह नियम इस संशोधन के प्रभावी होने के दिनांक से समस्त पेंशनरों की विधवा पत्नियों पर प्रभावी माना जायगा चाहे वे किसी भी दिनांक से सेवा निवृत्त हुए हो अथवा मृत हुए हों।

6—(2) (क) सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में उस निवृत्ति वेतन का आधा जो सम्बन्धित अधिकारी का मृत्यु होने के अगले दिन देय होता, यदि वह उस दिन नियत सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त कर दिया

प्रस्तावित संशोधन

बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (तैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपादान का भुगतान किया जायेगा।

16 सितम्बर सन् 1993 से सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ मूल वेतन का 20 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता महंगाई वेतन के रूप में सम्मिलित करके परिलब्धियों की गणना की जायेगी। 1-4-95 से उपादान की गणना के लिए निम्न प्रकार महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में मूल वेतन के साथ जोड़कर परिलब्धियां आगणित की जायेगी।

(1) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 3,500 तक—वेतन का 97 प्रतिशत।

(2) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 3,500 से अधिक परन्तु रु0 6,000 से कम—वेतन का 73 प्रतिशत परन्तु कम से कम 3,395 रुपये।

(3) मूल वेतन प्रत्येक माह रु0 6,000 से अधिक—वेतन का 63 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु0 4,380।

4—(3) उपविनियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाले उपादान की धनराशि किसी भी दशा में रु0 2,50,000 से अधिक नही होगी।

6—(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेन्शन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवा निवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो, या उनके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेन्शन देय होगी जो पुनर्विवाह करने पर समाप्त हो जायेगी।

6—(2) (क) रु0 1,500 से अनधिक मूल वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम 375.00 मात्र रु0 1,500 से अधिक किन्तु रु0 3,000.00 से अनधिक मूल वेतन का बीस प्रतिशत न्यूनतम 450 रुपया प्रतिमाह देय होगी। रुपया 3,000 से अधिक मूल वेतन का 15 प्रतिशत न्यूनतम रु0 600

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
प्रतिबन्ध यह कि—	तथा
6—(2) (ख) पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन का अधिक से अधिक रु० 500.00 से अधिक न होगा तथा कम से कम रु० 375.00 से कम न होगा जो 1 जनवरी, 1986 से लागू होगा।	6—(2) (ख) अधिकतम रुपया 1250.00 प्र होगा पारिवारिक पेन्शन की न्यूनतम धनराशि 375 रुपया होगी।
6—(3) इस भाग के अन्तर्गत कोई पेन्शन देय न होगी :	निरस्त किया जाता है।
(क) नीचे के उपनियम (4) के खंड (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि वह व्यक्ति जिसे पेन्शन दी जानी बाकी है अपने पोषण के लिए मृत अधिकारी पर आश्रित था।	निरस्त किया जाता है।
(ख) किसी अविवाहित स्त्री सदस्या को उसके विवाहित होने की दशा में।	निरस्त किया जाता है।
(ग) परिवार के किसी विधवा स्त्री सदस्या को, यदि वह पुनः विवाह कर लें।	निरस्त किया जाता है।
(घ) मृत अधिकारी के किसी भाई को इसके 18 वर्ष की अवस्था पूर्णकर लेने पर तथा	निरस्त किया जाता है।
(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो मृत अधिकारी के परिवार का सदस्य न हो।	निरस्त किया जाता है।
6—(4) उपविनियम (5) के अन्तर्गत किये नामांकन पत्र में की गई व्यवस्था को छोड़कर	निरस्त किया जाता है।
(क) उक्त भाग के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार दिया जायेगा :	निरस्त किया जाता है।
(1) उत्तरजीवी ज्येष्ठ विधवा को यदि मृत पुरुष अधिकारी हो अथवा पति को मृतक महिला अधिकारी हो।	निरस्त किया जाता है।
(2) विधवा पत्नी अथवा पति, जैसी भी दशा हो, के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठ पुत्र को।	निरस्त किया जाता है।
(3) उपर्युक्त नम्बर 1 व 2 की दशा के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री को तथा	निरस्त किया जाता है।
(4) उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं के अभाव में विधवा ज्येष्ठ पुत्री को तथा 6 (4) (ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति वेतन किसी व्यक्ति को देय न होने की दशा में वह निवृत्ति वेतन (पेन्शन) निम्न प्रकार स्वीकार की जावेगी।	निरस्त किया जाता है।
(1) पिता को	निरस्त किया जाता है।
(2) पिता के न होने पर माता को।	निरस्त किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

(95)

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(3) पिता और माता के न होने पर उत्तरजीवी ज्येष्ठ भ्राताओं में उसकी जिसकी अवस्था 18 वर्ष से कम हो ;	निरस्त किया जाता है ।
(4) इन सबके न होने पर ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहिता बहिन भी तथा	निरस्त किया जाता है ।
(5) उपर्युक्त नम्बर (1) से (4) में उल्लिखित के न होने पर ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा बहिन तथा	निरस्त किया जाता है ।
(6) (1) से (5) तक वर्णित व्यक्तियों के न होने की दशा में पूर्व मृत पुत्र के बच्चों को उस क्रम में जिसमें मृत अधिकारी के बच्चों को ऊपर के खण्ड (क) के उपखण्ड (2), (3) और (4) के अन्तर्गत देय हो ।	निरस्त किया जाता है ।
टिप्पणी—ऊपर के खण्ड (क) (1) के अन्तर्गत किए गए ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा शब्दों की व्याख्या मृत अधिकारी के साथ हुए विवाह सम्बन्ध की पूर्वता-क्रम से की जायेगी न कि उत्तरजीवी विधवाओं का आयु के उल्लेख से ;	निरस्त किया जाता है ।
प्रतिबन्ध यह रहेगा कि पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन, मृतक कर्मचारी के उस पारिवारिक सदस्य को देय होगा जो किसी सेवा में न हो अथवा जो स्वयं का सेवानिवृत्त वेतन न प्राप्त कर रहा हो । तथा	निरस्त किया जाता है ।
प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि यदि किसी मृतक कर्मचारी का उत्तरजीवी ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जो महापालिका अथवा किसी सरकारी सेवा में है तो उससे कनिष्ठ उत्तराधिकारी जो किसी सरकारी अथवा महापालिका की सेवा में न हो को पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत किया जायेगा यह [illegible] की गयी व्यवस्था में भी प्रभावी होगा ।	निरस्त किया जाता है ।
8 (4)—टिप्पणी—उपरोक्त प्रतिबन्ध में स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा पत्नी को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य को पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन देने की अधिकतम समय अवधि 10 वर्ष है किन्तु यदि किसी कर्मचारी का उत्तराधिकारी (पत्नी को छोड़कर) नेत्रहीन है अथवा हाथ-पैरों में कोई काम करने योग्य नहीं है तो [illegible] नगर अधिकारी उसका परीक्षण करने के पश्चात् स्वविवेक से उसे आजीवन पारिवारिक पेन्शन [illegible] है ।	8 (4)—विकलांग सन्तान केवल नेत्रहीन को ही आजीवन अवधि के लिए पेन्शन देय होगा । शेष विकलांग के सम्बन्ध में प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा के विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं विकलांग को स्वयं देखकर आजीवन पेन्शन देने के बारे में निर्णय लेंगे, किन्तु पत्नी के पुनः विवाह करने पर पेन्शन देय न होगी ।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
7—अधिवर्षता निवृत्ति, अशक्तता या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान (सुपरएनुएशन रिटायरिंग इनवैलिड एण्ड अदर पेन्शन और ग्रेच्युटी) अनुबंध (मैंशन के लिखित समुचित धनराशि होगी।	7—अधिवर्षता स्वेच्छा अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त अथवा अन्य प्रकार प्राप्त पेन्शन/उपादान के आगणन के लिए 1 जनवरी, 1986 से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है। पेन्शन आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9 (21) (1) के परिभाषित मूल-वेतन से होगा, यही व्यवस्था पारिवारिक पेन्शन के सम्बन्ध में लागू होगी। पेन्शन का आगणन सेवा निवृत्ति से पूर्व ठीक दस माह की परिलब्धियों के औसत के आधार पर किया जायेगा। 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हकारी सेवा होने पर ही पेन्शन अनुमन्य होगी तथा 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेन्शन के स्थान पर सेविस ग्रेच्युटी देय होगी। पेन्शन का आगणन 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा, जिसका न्यूनतम 375.00 रुपये अधिकतम 4,500.00 रुपये होगा। औसत परिलब्धि × 33/66 अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर आगणित धनराशि को इस अनुपात में कम करके अनुमन्य की जायेगी। किन्तु न्यूनतम पेन्शन 375 रुपये ही रहेगी। औसत परिलब्धि × अर्हकारी सेवा/66 शिक्षक वर्ग के कर्मचारी जो आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1962 के प्रवृत्त होने के समय नगर निगम (नगर महापालिका) के समय कार्यरत थे जिनकी नियुक्ति प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की गयी थी, जिन्होंने उपरोक्त विनियमावली के अन्तर्गत अपना विकल्प दिया था और उस समय पेन्शन पाने योग्य पद पर कार्यरत थे और पेन्शन पाने की पात्रता रखते थे, को ही पेन्शन नगर निगम से देय होगी एवं पेन्शन/उपादान का निस्तारण शासन के शिक्षा विभाग के पेन्शन उपादान सम्बन्धी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण मूल वेतन, महंगाई वेतन, अन्तरिम राहत महंगाई राहत, के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किये जायेंगे वे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 का भाग

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
	समझे जायेंगे, जिन मामलों में प्रमत विनियम लागू होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेन्शनरों के लिए जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे ।

परिशिष्ट :

कर्मचारी की पूर्ण छमाही	सेवा निवृत्ति वेतन [illegible]	वार्षिक निवृत्ति वेतन की अधिकतम धनराशि
1	2	3
20	10/60	10,000
21	10.5/60	10,500
22	11/60	11,000
23	11.5/60	11,500
24	12/60	12,000
25	12.5/60	12,500
26	13/60	13,000
27	13.5/60	13,500
[illegible]	[illegible]	14,000
29	14.5/60	14,500
30	15/60	15,000
31	15.5/60	15,500
32	16/60	16,000
33	16.5/60	16,500
34	17/60	17,000
35	17.5/60	17,500
36	18/60	18,000
37	18.5/60	18,500
38	19/60	19,000
[illegible]	[illegible]	19,500
40	20/60	20,000
41	20.5/60	20,500
[illegible]	21/60	21.000
43	21.5/60	21,500
44	22/60	22,000
45	22.5/60	22,500
46	23/60	23,000
47	23.5/60	23,500
48	24/60	24,000
[illegible]	[illegible]	24,500
[illegible]	[illegible]	25,000
51	25.0/60	25,500

निरस्त किया जाता है ।

वर्तमान नियम			प्रस्तावित संशोधन
1	2	3	
52	26/60	26,000	
53	26.5/60	26,500	
54	27/60	27,000	
55	27.5/60	27,500	
56	28/60	28,000	
57	28.5/60	28,500	
58	29/60	29,000	
59	29.5/60	29,500	
60	30/60	30,000	

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
7—निम्नलिखित पैरा विनियम 7(1)क तथा 7(1) ख और जोड़ दिया जाय—	
7—(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवा निवृत्त महापालिका कर्मचारी/अधिकारी के सेवा निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित एतदर्थ (एडहाक) बढ़ोत्तरी की जाती है जो इस संशोधन के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के बाद आगामी माह की पहली तारीख से देय होगी।	निरस्त किया जाता है।
(क) रुपया 200.00 तक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह, रु० 200.00 से ऊपर स्वीकृत पेन्शन में रुपया 20.00 प्रतिमाह, पारिवारिक पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह :	निरस्त किया जाता है।
(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की समय अवधि में सेवा निवृत्त महापालिका कर्मचारी/अधिकारी के सेवा निवृत्त वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित एतदर्थ (एडहाक) बढ़ोत्तरी की जाती है जो गजट में प्रकाशित होने के बाद आगामी पहली तारीख से देय होगी।	निरस्त किया जाता है।
रुपया 200.00 तक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 10.00 प्रतिमाह,	निरस्त किया जाता है।
रुपया 200.00 से अधिक स्वीकृत पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह,	
पारिवारिक में रुपया 15.00 प्रतिमाह।	
(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में :	निरस्त किया जाता है।
(1) रुपया 100.00 तक प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वालों की पेन्शन में रुपया 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि,	निरस्त किया जाता है।
(2) रुपया 100.00 से अधिक तथा रुपया 500.00 तक प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि,	निरस्त किया जाता है।

93

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(3) पारिवारिक पेन्शन में रुपया 100.00 तक देय पेन्शन में रु० 15.00 प्रतिमाह तथा रुपया 100.00 से अधिक देय पेन्शन में रु० 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (ख) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में :	निरस्त किया जाता है।
(1) रुपया 100.00 प्रतिमाह पेन्शन प्राप्त करने वालों के पेन्शन में रुपया 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।
(2) रुपया 100.00 से अधिक तथा रुपया 500.00 तक परिलाभ पेन्शन प्राप्त करने वालों की पेन्शन में रुपया 20.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।
(3) पारिवारिक पेन्शन में रु० 100.00 तक प्रति माह देय पेन्शन में रु० 15.00 प्रति माह तथा रु० 100.00 से अधिक देय पेन्शन में रु० 20.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (ङ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 तक सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित बढ़ोत्तरी की जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(अ) रु० 100.00 तक प्रति माह स्वीकृत पेन्शन पर रु० 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(ब) रु० 101.00 से रु० 400.00 तक प्रतिमाह स्वीकृत पेन्शन पर रु० 20.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(स) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (च) दिनांक 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1978 तक सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति वेतन के स्वीकृत धनांक में निम्नलिखित बढ़ोत्तरी की जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(अ) रुपया 100.00 तक स्वीकृत पेन्शन पर रु० 10.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(ब) रु० 101.00 से रु० 400.00 तक प्रतिमाह स्वीकृत पेन्शन पर रु० 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(स) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर रु० 10.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7—(1) (छ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की स्वीकृत मूल सेवा-निवृत्ति वेतन के धनांक में निम्नलिखित अतिरिक्त राहत दी जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(1) रु० 100.00 तक मासिक स्वीकृत पेन्शन पर रु० 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि;	निरस्त किया जाता है।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
(2) रु० 101.00 से रुपया 250.00 तक मासिक स्वीकृत पेन्शन पर रुपया 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
(3) रु० 251.00 से रु० 500.00 तक मासिक स्वीकृत पेंशन पर रु० 35.00 प्रतिमाह ;	निरस्त किया जाता है।
(4) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर रु० 15.00 प्रतिमाह की वृद्धि।	निरस्त किया जाता है।
7--(1) (ज) दिनांक 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मूल सेवानिवृत्ति वेतन के धनांक में निम्नलिखित राहत दी जाती है :	निरस्त किया जाता है।
(1) 100.00 रुपया तक स्वीकृत पेन्शन पर रुपया 10.00 प्रतिमाह।	निरस्त किया जाता है।
(2) 101.00 रुपया से 250.00 रुपया तक स्वीकृत पेंशन पर रु० 15.00 प्रतिमाह।	निरस्त किया जाता है।
(3) 251.00 रुपया से 500.00 रुपया स्वीकृत पेन्शन पर 20.00 रुपया प्रतिमाह।	निरस्त किया जाता है।
(4) पारिवारिक स्वीकृत पेन्शन पर 15.00 रुपया प्रतिमाह।	निरस्त किया जाता है।
7--(1) (झ) दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1986 तक सेवानिवृत्त हुए अथवा मृत हुए कर्मचारियों, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया तक स्वीकृत हुई है, उनकी स्वीकृत पेन्शन अथवा पारिवारिक पेन्शन में 10.00 रुपया प्रतिमाह की राहत दी जाती है।	निरस्त किया जाता है।
7--(1) (ञ) दिनांक 31 जुलाई, 1986 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया से अधिक है, 35.00 रुपया प्रतिमाह की राहत दिनांक 1 मार्च, 1987 से स्वीकार की जाती है। इस वृद्धि का भुगतान गजट में प्रकाशित होने पर किया जायेगा। चूंकि 21 फरवरी, 1987 के गजट में प्रकाशित पेन्शन संशोधन में 500.00 रुपया से अधिक पेन्शन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई राहत प्रदान नहीं की गई थी। अतः उक्त संशोधन स्वीकार किया गया है। उसका संशोधित विनियम निम्न प्रकार है---	निरस्त किया जाता है।

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
13—जिन अधिकारियों पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा जिसके अभिदान के लिए लिखित रूप से मुख्य नगर अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिदान की दर वेतन के 10 प्रतिशत से कम न होगी तथा 20% से अधिक न होगा। अभिदान की दर में परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र मुख्य नगर अधिकारी को किसी वर्ष में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिया जायेगा। वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।	13—जिन अधिकारियों पर यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य होना पड़ेगा जिसके अभिदान के लिये लिखित रूप में मुख्य नगर अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिदान की दर वेतन के 10 प्रतिशत से कम न होगी तथा 20 प्रतिशत से अधिक न होगी। अभिदान की दर में परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र मुख्य नगर अधिकारी को किसी वर्ष में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिया जायेगा। वर्ष के बीच में दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि सेवा निवृत्ति से छः मास पूर्व सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की कटौती बन्द कर दी जाय।
20—(2) नगर महापालिका, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त महापालिका की सामान्य निधि से रु0 101 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किया जाये।	20—(2) नगर निगम, आगरा के प्रत्येक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त नगर निगम की सामान्य निधि से रु0 251.00 पुरस्कार स्वरूप भुगतान किया जाये। ये प्रस्तावित संशोधन 1 नवम्बर, 1995 से प्रभावी होंगे तथा ऐसे प्रकरणों पर भी प्रभावी होंगे जो 31 अक्टूबर, 1995 तक अनिर्णीत रहे हों। राज्य सरकार द्वारा जब-जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन, उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण, मूल वेतन, महंगाई वेतन, अन्तिरिम राहत महंगाई राहत के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किए जायेंगे वे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा (रिटायरमैन्ट बेनिफिट) विनियम, 1962 का भाग समझे जायेंगे। जिन मामलों में उक्त विनियम मौन होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेन्शनरों के लिए जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे। उपरोक्त संशोधनों की दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 को पुष्टि की जा चुकी है।

(ह0) अस्पष्ट,
प्रशासक,
नगर निगम, आगरा।

92

वर्तमान नियम	प्रस्तावित संशोधन
7—(1) (ढ) दिनांक 31 जुलाई, 1986 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारी, जिनकी पेन्शन 500.00 रुपया से 1000.00 रुपया तक प्रतिमाह स्वीकार हुई है, की स्वीकृत पेन्शन में 35.00 रुपया प्रतिमाह तथा जिनकी पेन्शन 1001.00 रुपया से 1500.00 रुपया तक प्रतिमाह स्वीकार हुई है, की स्वीकृत पेन्शन में 50.00 रुपया प्रतिमाह की वृद्धि दिनांक 1 मार्च, 1987 से की जाती है। इस वृद्धि का भुगतान गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त किया जायेगा।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ठ) दिनांक 30 जून, 1986 तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की स्वीकृत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का 8 प्रतिशत धन राहत के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसकी न्यूनतम सीमा 10.00 रु० तथा अधिकतम सीमा 80.00 रु० प्रतिमाह होगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ड) दिनांक 1 जुलाई, 1986 से 30 जून, 1987 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वीकृत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का 5 प्रतिशत धन राहत के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसकी न्यूनतम सीमा 5.00 रु० तथा अधिकतम सीमा 50.00 रु० प्रतिमाह होगी।	निरस्त किया जाता है।
उक्त क्रमांक 3 की राहत उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने पर मार्च, 1988 से देय होगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(ण) दिनांक 1 मार्च, 1988 के पश्चात् सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आगामी [illegible] नगर महापालिका, आगरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जायेगी।	निरस्त किया जाता है।
7—(1)(त) नगर महापालिका के समस्त सेवानिवृत्त/पारिवारिक पेन्शनरों की राजकीय पेन्शनरों की भांति शासनादेश संख्या सा—4—1120/दस—301—87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले पेन्शनरों तथा पारिवारिक पेन्शनरों की पेन्शन को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनः निर्धारित कर उस पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेन्शनरों को दिये जाने वाले समस्त महंगाई [illegible] व अन्य लाभ [illegible] जायें। 1 जनवरी, 1986 से 29 फरवरी, 1988 तक तथा नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा राजकीय पेन्शनरों को दिये जाने वाले समस्त मंहगाई राहत व अन्य लाभ दिये जायें।	निरस्त किया जाता है।